तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमयइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए।
	प्रेम v/s जगराम वगै० अपील नं० 1/14	
26/7/18	वकील फरीकैन आये पूर्वानुसार (पत्रावली अपीलाधीन रिकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 25/9/18 को पेश हो।	
13/11/18	तारीख पेशी जनरल नोटिस के तहत आने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकैन उप० SDO(C) चुनाव कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/12/18 को पेश हो।	
17/12/18	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार दि० 24/1/19 को पेश हो।	
24/1/19	वकील फरीकैन उप० अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (सपोटरा) से अपीलाधीन नकल प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/3/19 को पेश हो।	
6/3/19	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/3/19 को पेश हो।	
19/3/19	वकील फरीकैन उप० अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
01/14	अपील नामा0	13.01.14	19.03.2019

प्रेम पुत्री वीरया उर्फ बीरबल पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अपीलॉण्ट

बनाम

1. जगराम 2. प्रेमराज पुत्रान लच्छा जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 3. रामकन्या 4. राजन्ती 5. कम्मों 6. काड़ी पुत्रीयान लच्छा जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 7. लिछमा बेवा लच्छा जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली 8. ग्राम पंचायत एकट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत एकट तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 06.05.2013 न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत नामा0 सं0 1026 ग्राम एकट स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि निर्णय दिनांक 06.05.2013 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत् नामा0 सं0 1026 ग्राम एकट खिलाफे कानून रूहदाद मिसल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलॉण्ट द्वारा दिनांक 10.07.2008 को एक वाद न्यायालय हाजा मे आराजी खसरा नं0 288, 290, 697, 702 एवं खसरा नं0 2 तथा खसरा नं0 51, 55 ग्राम एकट का एक वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा व घोषणा खातेदारी कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण होने के बाद न्यायालय हाजा ने निर्णय कर वादीया को उक्त भूमि के हिस्से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा अपीलॉण्ट डिक्री दिनांक 22.06.2011 को किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट्स व अन्य दावे के प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मे पेश किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई जो दिनांक 31.10.2012 को दर्ज किये जाने के बाद उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2014 नियत है और उक्त दावे मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत है। दौराने दावा रेस्पोडेंट ने दावे मे विवादित आराजी खसरा नं0 51, 55 ग्राम एकट मे से मृतक लच्छा पुत्र गोपी को दिनांक 06.05.2013 को अवैध तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहते हुए अपीलॉण्ट से छिपाते हुये विरासत नामान्तरकरण राजस्व कर्मियों व रेस्पोडेंट नं0 7 से साजिश कर अपने हक मे अवैध तौर पर जैर अपील नामान्मरकरण नम्बर 1026 दिनांक 6.5.2013 को दौराने दावा करा लिया है। उक्त विरासत नामा0 दौराने दावा है लिसपैण्डिस है और अपीलॉण्ट के हक हकूको पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और अपीलॉण्ट पर बाध्यकारी नही है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय दिनांक 06.05.2013 बाबत् नामा0 सं0 1026 ग्राम एकट अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विवरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलॉण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 06.05.13 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट निरस्त फरमाया जावे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जरिये नोटिस की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर जरिये वकील वकालतनामा पेश अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोडेंट सं0 7 तथा 8 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 1026 ग्राम एकट मे अंकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 ता 7 मृतक खातेदार लच्छा के वारिशान है और मृतक खातेदार लच्छा के वैध वारिशान का विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार दर्ज कर फैसल किया जाना कानूनन उचित है। नामान्तरकरण अपील के माध्यम से किसी खातेदार की आराजी का हस्तान्तरण किसी भी रीति से किया जाना संभव नही है, अपीलॉण्ट का विवादित आराजीयात मे यदि कोई हिस्सा बनता भी है तो उसका निस्तारण विचाराधीन वाद पत्र के माध्यम से साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। अपीलॉण्ट वकील ने अपील तथ्यों मे विवादित आराजीयात पर अस्थायी निषेधाज्ञा लागू होने का जिक्र किया है किन्तु इसके सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का स्थगन हो। विवादित आराजीयात से सम्बन्धित वाद पत्र इस न्यायालय मे विचाराधीन है इस बाबत् पेश की गई वाद पत्र की आदेशिका दिनांक 20.03.2013 तक ही प्रस्तुत की गई है इसके बाद की आदेशिका प्रस्तुत नही करने के कारण वाद पत्र की वर्तमान स्थिति का पता नही चल सकता है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया। अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तहसीलदार सपोटरा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner